



169

व्यायालय श्रीमान् दाजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा
जिला-रीवा म०प्र०

श्री रमेश दोषिता ए४-८५
देश ११९.७.१५

प्रकरण क्रमांक/14

जस्व मण्डल म०प्र० खासगढ़
रामदरस्से प्रजापति पिता स्व० श्री बैजनाथ प्रजापति उम्म
लगभग 45 वर्ष, पेशा-खेती, निवासी ग्राम-नाउनकला,
तहसील व थाना हनुमना, जिला-रीवा म०प्र०

R-3516-४४-१५

566
19.7.14

— चलिग्रामीकरण —

बनाम्

- 1 - काशीनाथ प्रजापति पिता स्व० श्री बैजनाथ प्रजापति उम्म
लगभग 55 वर्ष, पेशा-खेती,
- 2 - श्यामकली पत्नी स्व० राधौ प्रसाद उम्म 50 साल,
पेशा-खेती,
- 3 - विनोद प्रजापति पिता स्व० श्री राघव प्रसाद वर्मा उम्म
लगभग 30 वर्ष, पेशा-खेती,
- 4 - अरुण प्रजापति पिता स्व० श्री राघव प्रसाद वर्मा उम्म
लगभग 28 वर्ष, पेशा-खेती,
चारो निवासी ग्राम, पोस्ट-नाउन कला, थाना व
तहसील-हनुमना, जिला-रीवा म०प्र०
- 5 - मोतीलाल प्रजापति पिता स्व० श्री जवान प्रजापति उम्म
लगभग 55 वर्ष, निवासी ग्राम-चक कोटार,
- 6 - राजेश वर्मा तनय श्री चित्रसेन वर्मा उम्म 32 वर्ष,
पेशा-वकालत एवं खेती,
- 7 - राकेश वर्मा पिता श्री चित्रसेन वर्मा उम्म 30 वर्ष,
पेशा-खेती, निवासी १५/९० समान, कोरियान मोहल्ला
संजय नगर रीवा, तहसील-हुजूर, जिला-रीवा म०प्र०

— अनावेदक/ऐस्पाडेन्टगण —

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार
महोदय तहसील हनुमना, जिला
रीवा म०प्र० प्रकरण क्रमांक-

✓

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

मामला क्रो-R.3516-III/14

जिला-रीवा

रामदर्श प्रजापति / काशीनाथ प्रजापति

(1)

(2)

(3)

17.05.17

- प्रकरण प्रस्तुत।
- आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।
- चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
- आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।


सदस्य